(31)

संख्या— ~~2338~~ 2702 / 15—11—2011

रा - 1580
26-12-11

प्रेषक,

अनिल संत
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0,
लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग—11 लखनऊः दिनांक 29 दिसम्बर, 2011

विषयः निजी संस्थानों को दो वर्षीय बी0टी0सी0 / एंन0टी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु सरकार द्वारा सम्बद्धता तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्तुति करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 85 / 15—11—2010, दिनांक 18—01—2010 एवं शासनादेश सं0 1085 / 15—11—2011, दिनांक 27—06—2011 में निजी संस्थानों को दो वर्षीय बी0टी0सी0 / एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु सरकार द्वारा सम्बद्धता तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्तुति करने के सम्बन्ध में निर्धारित मानक में भूमि के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है **"कि आवेदित पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित भूमि संस्थान के नाम से राज्य अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए।"**

उल्लेखनीय है कि कतिपय जनपदों यथा — नोयडा (गौतमबुद्धनगर), गाजियाबाद तथा ग्रेटर नोयडा में निजी संस्थायें, जो बी0टी0सी0 / एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालित करना चाहती है, को केवल शासनादेश दिनांक 27.6.2011 में उक्त प्राविधान होने के कारण सम्बद्धता प्रदान करने में कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उनकी भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पाती है तथा खसरा खतौनी की व्यवस्था भी नहीं है। उक्त वर्णित स्थानों पर ऐसे संस्थानों की भूमि को लीज पर दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। अतः शासन द्वारा उक्त कठिनाई के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि एन0सी0टी0ई0 (भारत सरकार) की अधिसूचना दिनांक 31—8—2009 की धारा (8) मान्यता प्रदान करने के लिए शर्तें के प्रस्तर—7 में की गयी व्यवस्था के अनुसार **"निजी संस्थानों की भूमि न्यूनतम 30 वर्ष के लिए लीज पर सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्थाओं यथा — विकास**

—2—

प्राधिकरणों /आवास विकास परिषद/कोई सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी हो, तो ऐसे मामलों में सम्बन्धित संस्थानों को उक्त शासनादेश में वर्णित अन्य आवश्यक शर्तें पूर्ण करने की दशा में बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान की जाए।''

अथवा

आवेदित पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित भूमि संस्थान के नाम से राज्य अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए।''

3– कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

23/11/11

(अनिल संत)
सचिव

पृ0सं0– ~~2338~~ 2702 (1)/15–11–2011 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, निशातगंज, लखनऊ।
5. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ।
6. शिक्षा निदेशक (मा0), शिविर कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0 लखनऊ।
8. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. समस्त, प्राचार्य, डायट, उ0प्र0।
10. समस्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।